

PAPER IV
DEPT. OF
POL. SC.

द्विखंडनात्मक व्यवस्थापिका (Bicameral Legislature) -

जिन देशों में व्यवस्थापिका के दो खंड होते हैं, उन्हें हम द्विखंडनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं। यह व्यवस्था ब्रिटिश सामंतिगत विचारों की है। हमें आज विश्व के प्रायः सभी प्रजासत्तिक राज्यों में व्यवस्थापिका के दो खंड होते हैं। यह खंड को ऊपरी या शिरीष खंड (Upper or Second Chamber) और दूसरे खंड को निम्न या प्रथम खंड (Lower or First Chamber) कहते हैं। अर्थात् निम्न खंड में सर्वसाधारण जनता का प्रतिनिधित्व होता है। वही शिरीष खंड में कुछ विशेष वर्गों के हितों का संरक्षण का ही प्रतिनिधित्व होता है।

१) द्विखंडनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क - (गुण) -

- ① सर्वव्यापकता और निरंकुशता पर रोक;
- ② प्रथम खंड के आवेदनपत्रों पर पारित विधेयकों में संशोधन;
- ③ प्रजासत्तिक परंपरा के अनुकूल;
- ④ विधेयकों पर जनमत निर्माण;
- ⑤ प्रथम खंड की खराबता;
- ⑥ संसदीय शासन के अनुकूल;
- ⑦ विभिन्न वर्गों के हितों और हितों का प्रतिनिधित्व;
- ⑧ अनुभव की तथा कार्यकुशलता;
- ⑨ पुनर्विचार का काम;
- ⑩ विकसित विचारों का साधन;

बिना विचारों में तर्क (अनुपमत्त सुझावों Bicameral Legislature) -

कहते हैं कि धन ने द्विखंडनात्मक प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने शिरीष खंड के अनुपयोगी तथा अक्षमता का कारण है। वे आर्थिक दृष्टि से द्विखंडनात्मक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। हमें सिद्ध है कि द्विखंडनात्मक व्यवस्था ही सही है, जैसे जाड़ी में आगें और पीछे दिखावों में मुंह कर दो छोड़ें और दिश भाग और के विपरित दिशाओं में जानी की चीजें

द्वितीय खंड में विषय में मात्र डाढ़ तमों को
निर्मात्र रूप में रख सकते हैं।

- ① लोकप्रति और संप्रभुता की धारणा का विरोधी;
- ② एक प्रतिभावादी खंड
- ③ विरोधवादी संस्था
- ④ संघर्ष की संभावना
- ⑤ आप ही की विरोधी
- ⑥ धन का अपव्यय
- ⑦ संघावृत्त अवस्था के लिए भी अनिवार्य
- ⑧ संज्ञान संबंधी दोष
- ⑨ उपर्युक्त का निराकरण।

⇒ उपस्थापिका के कार्य (Functions of the Legislature).

उपस्थापिका के कार्य अधिकतर धन्य के रूप में
यु निर्णीत करती हैं अथवा प्रजासत्तिका स्वरूप से, वहां
उपस्थापिका महत्वपूर्ण होती है लेकिन, यहां निर्णुता शासन
है, वहां उपस्थापिका का विशेष महत्व नहीं होता।
प्रजासत्तिका अवस्था में भी अल्पसंख्यक तथा संसदीय
स्वरूपों होती हैं। इसलिए इन दोनों शासन अवस्थाओं
में उपस्थापिका की स्थिति भिन्न-भिन्न होती है।
अल्पसंख्यक शासन अवस्था में उपस्थापिका अर्धपार्लियामेन्टरी
से बिल्कुल अलग होती है और अर्धपार्लियामेन्टरी पर कोई
निर्भरता नहीं रहती। लेकिन संसदीय अवस्था में
उपस्थापिका का अर्धपार्लियामेन्टरी पर पूर्ण निर्भरता रहता है।
उपस्थापिका के कार्यों का हम निम्नलिखित रूप में
अभिप्रेत कर सकते हैं —

① कानून निर्माण संबंधी कार्य (Law-Making Functions).

उपस्थापिका का सबसे प्रमुख कार्य कानूनों का
निर्माण करना है। कानून बनाना ही वह राज्य की
इच्छाओं का अभिव्यक्ति करती है। सामाजिक परिस्थितियों
का ध्यान में रखकर, वह पुराने कानूनों में सुधार
करती है तथा नई आवश्यकताओं के संबंध में नए